न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2455 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-07-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 1195/अपील/2015-16

विद्याभूषण शुक्ला तनय भगवानदीन शुक्ला
निवासी - ग्राम बरहा, तहसील - सिरमौर, जिला रीवा म.प्र. .....**आवेदक**

विरूद्ध

1) विश्वभूषण शुक्ला तनय भगवानदीन शुक्ला
   हाल मुकाम - ग्राम डोमापोकठहा तह. अमरपाटन जिला सतना
   निवासी - ग्राम बरहा, तहसील - सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
2) श्रीमती विमला पुत्री भगवानदीन शुक्ला पत्नी चंद्रमणि मिश्रा,
   निवासी - ग्राम अनंतपुर रीवा, तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
3) श्री मती ऊषा पुत्री भगवानदीन शुक्ला पत्नी चक्रधर द्विवेदी,
   निवासी - ग्राम करहिया, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)
4) श्रीमती शास्त्री पुत्री भगवानदीन शुक्ला पत्नी रामप्रसाद मिश्रा,
   निवासी - ग्राम फूल, तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म.प्र.)
5) श्रीमती संगीता पुत्री भगवानदीन शुक्ला पत्नी सुधाकर द्विवेदी,
   निवासी - ग्राम करहिया, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)
6) श्रीमती शिवगीता पुत्री भगवानदीन शुक्ला पत्नी महावीर द्विवेदी,
   निवासी - ग्राम गुहिया, तहसील - सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

श्री आर.एस.सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण 1 से 4 व 6

अनावेदक क्रमांक 5 एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 29.06.2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 25-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार अमरपाटन के समक्ष मौजा बिरसिंहपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल रकवा 0.724 हे. का वसीयतनामा दिनांक 13.05.2015 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2015 द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई, जो उनके आदेश दिनांक 19.07.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 25-07-2017 द्वारा खारिज की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. प्रश्नाधीन भूमियों के भूमिस्वामी आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता स्व. भगवानदीन थे जिन्होने आवेदक के हक में वसीयतनामा लेख दिनांक 13/05/2015 को दो गवाहों के समक्ष निष्पादित कराकर उसे नोटरी से सत्यापित कराया था जिस बात की पुष्टि वसीयत के साक्षी कौशल प्रसाद एवं

मुनेन्द्र शुक्ला ने अपने शपथ पत्र पर दी गयी साक्ष्य से प्रमाणित किया था जिसके आधार पर तहसीलदार, तहसील अमरपाटन ने आदेश दिनांक 30/06/15 पारित किया था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वैधानिक त्रुटि नही थी जिससे उसे अधीनस्थ में हस्ताक्षेप किया जाना कतई न्यायोचित नही था क्योकि वसीयत के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान है कि वसीयत प्रमाणक साथियों में से किसी एक साक्षी द्वारा प्रमाणित की जा सकेगी जबकि इस प्रकरण में वसीयत के दोनो प्रमाणक साक्षियों कौशल प्रसाद एवं मुनेन्द्र शुक्ला को प्रस्तुत किया गया है, जिन्होने स्पष्ट रूप से स्व. भगवानदीन द्वारा आवेदक के हक में वसीयत का निष्पादन कराना व उसमें हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष करना प्रमाणित किया है, ऐसी स्थिति में वसीयतनामा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत पूर्णत: प्रमाणित किया गया है।

2. जहां तक प्रकरण में अनावेदकगणों को पक्षकार न बनाने की बात कही जा रही है वह अनावश्यक है क्योकि वे न तो हितबद्ध व्यक्ति थे और न आवश्यक पक्षकार ही थे क्योकि आवेदक के हक में नामांतरण पिता द्वारा निष्पादित कराये गये वसीयतनामा लेख दिनांक 13/05/2015 के आधार पर किया गया था न कि वारिसाना विशेष रूप से जबकि आवेदक न अनावेदकगण के पिता की मृत्यु के उपरांत जो बटवारे का स्मृति लेख दिनांक 27/05/2015 को गवाहों के समक्ष तैयार कराया गया था उसमें सभी अनावेदकगणों ने हस्ताक्षर किया था तथा पिता द्वारा आवेदक के हक में दिनांक 13/05/2015 को वसीयत निष्पादित किया जाना स्वीकार किया था तथा वसीयतशुदा सम्पत्ति में आवेदक का मौके से कब्जा होना स्वीकार किया है जो स्मृति लेख प्रकरण में पूर्व से प्रस्तुत है।

3. अनावेदक की ओर से वसीयतनामा लेख दिनांक 13/05/2015 को जो फर्जी रूप से तैयार होना कहा जा रहा उनका खण्डन बटवारा स्मृति लेख दिनांक 27/05/2015 को देखने व पढ़ने से एवं उसमें बने उनके हस्ताक्षरों का मिलान करने से अपने आपही गलत हो जाता है क्योकि न्यायालय विशेषज्ञो की

विशेषज्ञ है जैसा 1996 एम.पी. डब्लू.एन. 2005 ।। नोट नं.-87 में व्यवस्था दी गयी है।

4. अनावेदकगण ने जिन बातों का उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में किया था उन बातों को कतई प्रमाणित नही कर सके है, ऐसी स्थिति में आवेदक के पिता स्व. भगवानदीन के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा पर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नही की जा सकती थी विशेष रूप से जबकि बटवारा का स्मृति लेख अनावेदक की उपस्थिति में उसकी सहमति के आधार पर तैयार किया गया था जिसे पढ़ने व समझाने के उपरांत लेखक गुलाब शुक्ला एवं उदयनारायण शुक्ला एवं मुद्रिका प्रसाद शुक्ला के समक्ष हस्ताक्षर किया था।

5. वसीयतनामा लेख दिनांक 13/05/2015 के आधार पर किये गये नामांतरण आदेश दिनांक 30/06/2015 को अमान्य नही किया जा सकता था कि स्व. भगवानदीन के वारिसो को पक्षकार नही बनाया गया है या कि उनकी मृत्यु के तुरंत वाद नामांतरण का आवेदन दिया गया है क्योकि नामांतरण एक प्रक्रिया है जिसके लिये ऐसा कोई बंधन नही है कि नामांतरण का आवेदन मृत्यु के कितने दिन बाद दिया जायेगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों ने इन आधारों पर जो निष्कर्ष निकालकर आवेदक के नामांतरण आदेश को निरस्त किया है वह प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. यह कि तथ्यों को अवगत कराते हुए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण आपस में सगे भाई बहन हैं। निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 23.05.2015 को ग्राम बरहा तहसील सिरमौर जिला रीवा में हुई है, तथा निगरानी में उल्लिखित भूमियॉ स्व.

भगवानदीन की पत्नी मुस. जमुनिया को अपने मायके से पिता की भूमियों से प्राप्त हुई है व स्व. भगवानदीन की स्व अर्जित उक्त भूमियॉ नही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि स्व. जमुनिया के पिता के परिवार का विवाद व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत था व मुस. जमुनिया की मृत्यु के बाद सभी भाई बहनों ने पिता के नाम भूमियॉ किये जाने की सहमति दी थी इस कारण स्व. भगवानदीन के नाम उक्त भूमियॉ अभिलेख में दर्ज हुई किन्तु उक्त भूमियों में सभी भाई-बहनों का समान हक था। विधि में यह प्रावधान है कि महिला को अपने मायके से प्राप्त भूमियों में पति का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता मात्र उसके पुत्र व पुत्रियों का ही अधिकार होता है यदि पुत्र व पुत्री नहीं है तो उक्त सम्पत्ति मायके के वारिसों को आंतरित होगी न कि पति के नाम।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा लालच में आकर पिता के नाम की भूमियों को हडपनेके उद्देश्य से पिता की मृत्यु के बाद कौशल प्रसाद शुक्ला व मुनेन्द्र प्रसाद शुक्ला से मिलकर फर्जी वसीयतनामा दिनांक 13.05.2015 की तारीख पर तैयार किया व उसमें गवाह के रूप में कौशल प्रसाद शुक्ला व मुनेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये व स्व. भगवानदीन के भी फर्जी हस्ताक्षर किये, स्व. भगवानदीन ने अपने जीवनकाल में कभी भी कोई वसीयतनामा निगरानीकर्ता के नाम नहीं लिखाया था, निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम बिरसिंहपुर की भूमियों एवं ग्राम बरहा व पटेहरा गांव की भूमि हडपने के उद्देश्य से निगरानीकर्ता द्वारा उक्त फर्जी वसीयतनामा दिनांक 13.05.2015 की तारीख पर मृत्यु के बाद लिखाया गया है व उस पर स्व. भगवानदीन के फर्जी हस्ताक्षर किये गये व उसी के आधार पर बिना वारिसों को पक्षकार बनाये नामांतरण करा लिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर दिया जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा भी की गई।

3. यह कि विधि में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कोई भी अदालत उसके समस्त वारिसों को सुनवाई का अवसर देकर ही आदेश पारित करती है। यदि मृतक के वारिसों को पक्षकार न बनाया जाकर आदेश पारित किया जाता है तो वह पूर्णत: विधि विरूद्ध है। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया

गया है जिसमें किसी तरह के वैधानिक कोई त्रुटि नहीं है, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात तहसील न्यायालय द्वारा स्व. भगवानदीन के सभी वारिसो को पक्षकार बनाकर व सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया व शासकीय अभिलेख में सभी गैर निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता का नाम इन्द्राज हो गया व सभी विवादित भूमि के बराबर के हिस्सेदार अभिलेख में दर्ज हैं जिसका खसरा भी बहस के समय संलग्न है।

4. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने निगरानी मेमो में जो तथ्य लिखाये गये हैं वह पूरी तरह अनुचित, अनियमित एवं अवैधानिक हैं क्योंकि कोई भी नामांतरण की कार्यवाही में मृतक के सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है व उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना भी आवश्यक है। किन्तु तहसीलदार के न्यायालय में वारिसों को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया और न ही तहसीलदार द्वारा स्वयं मृतक के वारिसों को कोई नोटिस सुनवाई के दरिम्यान नहीं दी गई मात्र फर्जी इश्तहार प्रकाशन का हवाला दिया गया जिसमें ग्राम रहा के अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं थे मात्र मुनेन्द्र शुक्ला एवं कौशल प्रसाद जो फर्जी वसीयतनामा तैयार करने में संलग्न थे का ही हस्ताक्षर कराया गया है। इस तरह सम्पूर्ण कार्यवाही मृतक भगवानदीन के वारिसों को छिपाकर कराई गई है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूरी तरह वैधानिक था जिसे पुष्टि कर अपर आयुक्त महोदय द्वारा किसी तरह की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा दिनांक 13.05.2015 के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करते हुए लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तथा अन्य बहनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि मेरे पिता द्वारा दिनांक 13.05.2015 को जो वसीयत लिखी गई है, वह कूटरचित/फर्जी तरीके से तैयार की गई

है एवं पूर्णत: फर्जी लेख है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य हैं। जिनमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त् रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2017 स्थिर रखा जाता है।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर